न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 33/2025
रजिस्ट्रेशन नं. :2025/39

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री भवर लाल रेबारी पुत्र श्री आशा जी रेबारी, निवासी 01, धाणी पाडा, सेनावासा, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 25–11–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **30–06–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **05–03–2025** को 2.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री भवर लाल रेबारी पुत्र श्री आशा जी रेबारी** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज) स्टील के टंकी में 30 किलोग्राम** रखा पाया। जिसमे मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज) 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **भेस का दुध (लूज) 2 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी. ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2059** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2025 / 134 दिनांक 25–03–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 359 दिनांक 12–03–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2059** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01–07–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 05.08.2025 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा। तत्पश्चात् अप्रार्थी दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहा। आज दिनांक 25.11.2025 को अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाकर अप्रार्थी के नाम से बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु गैरसायल / आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं उपस्थित विभागीय पैरोकार की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक **05–03–2025** को 2.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री भवर लाल रेबारी पुत्र श्री आशा जी रेबारी** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ मिल्क केक स्टील के टंकी में 30 किलोग्राम** रखा पाया। जिसमे मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज) 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100 / — रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज) 2 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2059** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2025 / 134 दिनांक 25–03–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 359 दिनांक 12–03–2025 अनुसार विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2059** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खा्द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2025 / 134 दिनांक 25–03–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 359 दिनांक 12–03–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2059** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 गया है। प्रकरण में अभियुक्त बावजुद सूचना अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में वक्त सुनवाई विभागीय पैरोकार द्वारा तत्सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य / दस्तावेज पेश किये है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **खाद्य पदार्थ भेस का दुध (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री भवर लाल रेबारी पुत्र श्री आशा जी रेबारी, निवासी 01, धाणी पाडा, सेनावासा, बांसवाडा, (विक्रेता / मालिक) मैसर्स खमेरा सूचित दूध केन्द्र, मेन रोड, खमेरा, बस स्टेण्ड सेनावासा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 20,000 / – (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाडा को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी से उपरोक्त जुर्माना राशि का जमाशुदा चालान प्राप्त कर न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला बांसवाडा (राज.)

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)